

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर  
( पीठासीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस. )

मुकदमा संख्या : 64 / 2025

GCMS NO-2025/72

प्रार्थी

प्रवीण चौधरी, खादय सुरक्षा  
अधिकारी, कार्यालय मुख्य बनाम  
चिकित्सा एवं स्वार्थ्य  
अधिकारी, जैसलमेर।

अप्रार्थी

1. मूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी, सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर। मो0 7073477575
2. पंकज वालिया पुत्र श्री अशोक कुमार वालिया उम्र 39 वर्ष निवासी डी-39 तारानगर खीमी फाटक आर.ओ.बी. झोटवाडा जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर। मो0 9829289735
3. चेतन भरतभाई शाह उम्र 39 वर्ष (मालिक) मैसर्स आदिनाथ केश्यू इन्डस्ट्रीज, 12 संतराम सुपर मार्केट लक्ष्मी सिनेमा के पास, नाडियाड खेडा, गुजरात पिन नं. 387001

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 उपस्थित :-

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी 01 से 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री दुर्गेश आचार्य।

:: निर्णय ::

दिनांक: 30.07.2025

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.12.2024 को दोपहर 04.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर पर श्री मूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी, सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खादय अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर काजू(आदिनाथ)रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्त रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात काजू(आदिनाथ) 02 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 1800/- रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा काजू(आदिनाथ)को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-2118 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-2118 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-2118 काजू(आदिनाथ)लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को प्रवीण चौधरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 09.12.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 06.12.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 01 एवं 489-91 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1843/Act/2024/1889 दिनांक 16.12.2024 अनुसार उक्त नमूना असुरक्षित एवं अमानक एवं मैसूर से रिपोर्ट रेफरल सर्टिफिकेट नंबर 660 एफ/एफएसएसए/2025 दिनांक 17.06.2025 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2024/स्वीकृति/एन-2118/2729 दिनांक 21.02.2025 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री मूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी , सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (विक्रेता) मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर 2. पंकज वालिया पुत्र श्री अशोक कुमार वालिया उम्र 39 वर्ष निवासी डी-39 तारानगर खीमी फाटक आर.ओ.बी. झोटवाडा जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर 3 चेतन भरतभाई शाह उम्र 39 वर्ष (मालिक) मैसर्स आदिनाथ केश्यू इन्डस्ट्रीज, 12 संतराम सुपर मार्केट लक्ष्मी सिनेमा के पास, नाडियाड खेडा, गुजरात पिन नं. 387001 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड काजू(आदिनाथ) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक

न्याय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट


से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी सं. 01से 02 तक की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गेश आचार्य उपस्थित। अप्रार्थी 01से 02 तक से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी 01 एवं 02 ने खाद्य पदार्थ काजू(आदिनाथ) को अप्रार्थी संख्या 03 से जिस अवस्था में खरीदा है उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया। किसी भी प्रकार को कोई मिलावट नहीं किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा जानबूझकर गलत कृत्य नहीं किया गया है। और न ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी हैर फौर किया जाएगा। अतः भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा जिससे कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। अतः निवेदन की मुझ प्रार्थी के विरुद्ध वाद को निरस्त फरमावें एवं कम से कम पैनल्टी भरवाकर प्रकरण निरस्त किया जावें। अप्रार्थी संख्या 03 से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मैंने अपनी संस्था की टीम से काउंटर सैंपल की जांच करवाई, जिसमें खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सही पाई गई थी। पैकिंग एवं प्रेषण के समय गुणवत्ता पूर्णतः मानको के अनुरूप थी। संभवतः पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण वह खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाया गया हो। अतः भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा जिससे कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। अतः निवेदन की मुझ प्रार्थी के विरुद्ध वाद को निरस्त फरमावें एवं कम से कम पैनल्टी भरवाकर प्रकरण निरस्त किया जावें।

3. प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण न्यायालय में हाजीर नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./1843/Act/2024/1889 दिनांक 16.12.2024 अनुसार उक्त नमूना असुरक्षित एवं अमानक एवं मैसूर से रिपोर्ट रेफरल सर्टिफिकेट नंबर 660 एफ/एफएसएसए/2025 दिनांक 17.06.2025 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए हैं उसको मध्य-नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ति आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति आरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01से जख्त सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ काजू (आदिनाथ) 05 किलोग्राम की राशि का पांच गुणा अप्रार्थी संख्या 01से 03 तक पर संयुक्त रूप से शास्ति राशी 22500/- बाईस हजार पांच सौ अक्षरे रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावें।

  
न्याय विभाग, जैसलमेर एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर  
दिनांक

क्रमांक:कोर्ट/2026/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
2. मूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी, सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपतिनगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर। मो0 7073477575
3. पंकज वालिया पुत्र श्री अशोक कुमार वालिया उम्र 39 वर्ष निवासी डी-39 तारानगर खीमी फाटक आर.ओ.बी. झोटवाडा जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरूपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर। मो0 9829289735
4. चेतन भरतभाई शाह उम्र 39 वर्ष (मालिक) मैसर्स आदिनाथ केश्यू इन्डस्ट्रीज, 12 संतराम सुपर मार्केट लक्ष्मी सिनेमा के पास, नाडियाड खेडा, गुजरात पिन नं. 387001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर